सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5374/MH/530/2025-RO-BH/RU-I **दिनांक: 05.05.2026**

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-छत्रपती संभाजीनगर,
कलेक्टर कार्यालय,
छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र-431001
ई-मेल: Collector.chsambhajinagar@maharashtra.gov.in

विषय: अनावेदकों द्वारा आवेदक को अपनी भूमि पर खेती नहीं करने देने के संबंध में श्री शाम रघुनाथ भील, मुक्काम-गलवाड़ा, पोस्ट-गोंदेगांव, तहसील-सोयगांव, जिला-छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 19.05.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.07.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 18.05.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री शाम रघुनाथ भील,
मुक्काम-गलवाड़ा, पोस्ट-गोंदेगांव, तहसील-सोयगांव,
जिला-छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising power of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERELA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5374/MH/530/2025-RO-BH/RU-I　　　　दिनांक: 15/07/2025

1. **कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी**
   कलेक्टर कार्यालय,
   छत्रपती संभाजीनगर,
   औरंगाबाद, महाराष्ट्र 431001
   ई-मेल: collector.aurangabad@maharashtra.gov.in

विषय: **श्री शाम रघुनाथ भील, मुक्काम-गलवाड़ा, पोस्ट-गोंदेगांव, तहसील-सोयगांव, जिला-छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र) - अनावेदकों द्वारा आवेदक को अपनी भूमि पर खेती नहीं करने देने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री शाम रघुनाथ भिल से दिनांक 19/05/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **30 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं.: 0141-2236462
ई-मेल: ro-jaipur@ncst.nic.in

O/C

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National Commission ... Bhopal
प्रेषण संख्या / ... 1228, 29
दिनांक / Date ... 23/07/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
श्री शाम रघुनाथ भिल,
मुक्काम-गलवाड़ा, पोस्ट-गोंदेगांव,
तहसील-सोयगांव, जिला-छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र)
मो.न.:9022585410